28/10/24	पत्रावली प्रस्तुत। ~~वकील~~ प्रार्थी द्वारा अधिवक्ता अधिनियम (संशोधन) (12/09/18) के अनुसार वादी को प्रतिवादी गणों पर सम्मन के लिए रजिस्टर्ड तथा बाबजूद जारी थी परन्तु लगातार 02 वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी वादी द्वारा प्रतिवादीगणों ~~को~~ के सम्मन के लिए रजिस्टर्ड तलबी उपस्थित की गयी। अतः न्यायालय अधिवक्ता के अधिकृत वादी पर मौका पाया है कि वकील प्रार्थी द्वारा तलबी हेतु डाक खर्चा देने से विमुख है। अतः वकील प्रार्थी का आवेदन पत्र 09/R02 CPC के तहत पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली पर जारी किये गये पत्रों की शुल्क प्रेषण पावती वापस करें। दिनांक आज दिनांक 28/10/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया

सहायक कलेक्टर
जयपुर शहर प्रथम